प्रेस नोट

जनपद सोनभद्र

दिनांक 23.05.2025

थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विभिन्न जनपदों से ट्रकों को किराये पर चलाने के नाम पर कुल 20 ट्रकों(अनुमानित कीमत करीब 04 करोड़ रुपया) को कबाड़ी को बिक्री करने से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन में अपराध पर प्रभावी रोकथाम लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा मुखबीर खास कि सुचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 312/2025 धारा 316(5), 318(4) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र रहीश यादव निवासी वार्ड नं0 4 नरिया मोहल्ला ओरछा थाना ओरछा जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश उम्र करीब 28 वर्ष को दिनांक 22.05.2025 को समय करीब 23.30 बजे ग्राम अवई मारकुण्डी (सलखन) थाना चोपन सोनभद्र से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

प्रकरण:- अभियुक्त अभिषेक यादव द्वारा विभिन्न जनपदों में फेसबुक द्वारा दलालों के माध्यम से ट्रक मालिक से सम्पर्क स्थापित कर किराये पर मानक से अधिक धनराशि तय कर ट्रक को चलवाने के लिए एग्रीमेन्ट कराता था तथा कुछ धनराशि दलालों को देकर विश्वास दिलाता था जिस पर दलाल सक्रिय होकर वाहन स्वामियों से किराए पर गाड़ी चलवाने को दिलवाया करते थे, मौके पर वाहन स्वामी को किराये की आधी धनराशि देकर गाड़ी अपने साथ ले जाया करते थे तथा अभियुक्तों द्वारा रोहन यादव जिला झांसी की 02 गाड़िया, शैलेन्द्र यादव निवासी प्रयागराज की 02 गाड़िया, संतोष यादव निवासी सोनभद्र की 01 गाड़िया, राहुल यादव निवासी सोनभद्र की 04 गाड़िया, सुरेन्द्र कुमार यादव निवासी भोगनीपुर जिला कानपुर देहात की 07 गाड़िया व राजकुमार पटेल निवासी सीधी मध्य प्रदेश की 03 गाड़िया लेकर कबाड़ी सफीक उर्फ चक्की निवासी टेकानाका नम्बर 8 सर्विस रोड भंडारा जिला नागपुर को प्रत्येक गाड़ी को 05-05 लाख रूपया में बेच दिया है । इस तरह से अभियुक्त उपरोक्त व्यापारी बनकर गाड़ी का खरीद फरोख्त करता है जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त अभिषेक यादव के विरूद्ध विभिन्न जनपदों में मुकदमा पंजीकृत है। वांछित अभियुक्त विपिन व सफीक का नाम प्रकाश में आया है। जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभिषेक यादव पुत्र रहीश यादव निवासी वार्ड नं0 4 नरिया मोहल्ला ओरछा थाना ओरछा जिला निवाड़ी मध्यप्रदेश उम्र करीब 28 वर्ष

अभियुक्त अभिषेक यादव का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 42/2025 धारा 316(5), 318(4) बीएनएस थाना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात।

2.मु0अ0सं0 146/25 धारा 316(2) थाना फूलपुर जिला प्रयागराज।

3.मु0अ0सं0 151/2024 धारा 316(2), 351(2) बीएनएस थाना एरच जिला झांसी।

4.मु0अ0सं0 04/2022 धारा 120बी ,411, 419, 420 भादवि व 66, 66डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राईम पुलिस झांसी जिला झांसी।

5.मु0अ0सं0 24/2021 धारा 120बी,419,420 भादवि व 66,66डी आईटी एक्ट साईबर क्राईम पुलिस झांसी जिला झांसी

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण-

1.चौकी प्रभारी लोढ़ी संजय सिंह थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।

2.हे0का0 अभिमन्यू यादव थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।

3.हे0का0 अवधेश प्रजापति थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।